

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24 (2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की प्रधानाचार्य उमावि व समकक्ष पद की वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक की पूर्व सम्पन्न बैठकों की पुनर्विलोकन बैठक दिनांक 24.12.2020 में की गई अनुशंसानुसार निम्नलिखित अधिकारियों को संबंधित चयन वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-1A) पर निम्नानुसार चयनित किया जाता है:-

कस	वरिष्ठता कमांक		वर्ष	नाम आशार्थी	जन्म तिथि	वर्ग	लिंग	शिडू	निम्न पद	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	848	0	1993-94	भजन लाल	01.07.1962	अजा	पु0	I	प्र0अ0	2004-05
2	287	0	2004-05	किशनलाल यादव	01.02.1959	अजा	पु0	I	वउजिशिअ	2005-06
3	308	0	2005-06	पूरणचंद	20.09.1960	अजा	पु0	I	वउजिशिअ	2006-07 यथावत

यदि उक्त वर्णित किसी भी अधिकारी द्वारा कस संख्या 10 में वर्णित निम्न पद से भिन्न अन्य पद से प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर चयन का परिलाभ प्राप्त किया गया है तो वह उक्त चयन के परिणामस्वरूप उक्तानुसार नवीन चयन वर्ष के अनुरूप पुनर्निर्धारण योग्य होगा।

(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस.  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1A/प्रधानाचार्य/डीपीसी/2004-05 से 2006-07/ दिनांक: 21/01/2021  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. शासन उप सचिव (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि चयन निरस्त/नवीन चयन के आधार पर संशोधित वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग एवं प्रभाग बी-1 एवं बी-2 संस्थापन एबी को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार आगामी करने का श्रम करावें।
9. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर